



## राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम

### प्रलिस के लयि:

राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम, राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी) ।

### मेन्स के लयि:

संपत्त मुद्राकरण और संबधति चुनौतयिँ, संपत्त मुद्राकरण योजना और लाभ ।

## चर्चा में क्यँ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूरण स्वामतिव वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम **National Land Monetization Corporation- NLMC**) की स्थापना को मजूरी दी है ।

- वतित मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इस उद्देश्य के लयि एक वशिष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) स्थापति करने की योजना की घोषणा की थी ।
- अगस्त, 2021 में भारत सरकार ने [राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन](#) (National Monetisation Pipeline- NMP) का शुभारंभ कयि ।

## प्रमुख बडि

### राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम(NLMC):

- NLMC के बारे में:**
  - NLMC एक एजेंसी के रूप में अधशिष भूमि संपत्त मुद्राकरण का कार्य करेगा और इस संबध में केंद्र को सहायता व तकनीकी सलाह प्रदान करेगा ।
  - NLMC की घोषणा 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ की गई है ।
  - NLMC के नदिशक मंडल में कंपनी के पेशेवर संचालन और प्रबंधन को सक्षम करने के लयि केंद्र सरकार के वरषिट अधकारी और प्रतषिटति वशिषज्ञ शामिल हँगे ।
    - NLMC के अध्यक्ष, गैर-सरकारी नदिशकों की नयिकृतयोग्यता-आधारति चयन प्रक्रयि के माध्यम से की जाएगी ।
  - नई कंपनी को वतित मंत्रालय के प्रशासनिक अधकार क्षेत्र में स्थापति कयि जाएगा ।
  - NLMC नजी क्षेत्र के पेशेवरों को उसी तरह नयिकृत करेगी जैसे कि समान वशिषिट सरकारी कंपनयिँ के मामले में होता है जैसे [राष्ट्रीय नदिश और बुनयिदी ढाँचा कोष \(NIIIF\)](#) और [इन्वेस्ट इंडयि](#) ।
- लाभ:**
  - यह **नजी क्षेत्र के नदिश, नई आर्थिक गतविधियिँ, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढावा देने तथा आर्थिक एवं सामाजिक बुनयिदी ढाँचे** हेतु वतितय संसाधन उत्पन्न करने के लयि कम उपयोग की गई संपत्तयिँ के उत्पादक उपयोग को सक्षम करेगा ।
  - NLMC से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह बंद होने वाले CPSE की अधशिष भूमि और भवन संपत्त तथा रणनीतिक वनिविश के तहत सरकारी **स्वामतिव वाले सीपीएसई की अधशिष गैर-प्रमुख भूमि संपत्तिका स्वामतिव, प्रबंधन एवं मुद्राकरण** करेगा ।
    - इससे सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रयि में तेजी आएगी जिससे सरकारी स्वामतिव वाले सीपीएसई की रणनीतिक वनिविश प्रक्रयि आसान होगी ।
- चुनौतयिँ:**
  - NLMC को जनि प्रमुख चुनौतयिँ का सामना करना** पड़ सकता है उनमें वशिष रूप से भूमि संपत्तयिँ में पहचान योग्य राजस्व की कमी, वविद समाधान तंत्र, वभिन्न मुकदमे और स्पष्ट शीर्षक की कमी तथा दूरस्थ भूमि पारसल में नदिशकों के बीच कम रुचि शामिल है ।

## NLMC का कार्य:

- NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि भवन संपत्तिका मुद्रीकरण करेगा।
  - CPSEs वे कंपनियाँ हैं जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSE की सीधी हस्तिसेदारी 51% या उससे अधिक है।
  - वर्तमान में CPSE के पास भूमि और भवनों की प्रकृति में काफी अधिशेष, अपर्युक्त और कम उपयोग की गई गैर-प्रमुख संपत्तियाँ हैं।
- NLMC अन्य सरकारी संस्थाओं (CPSEs सहित) को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख संपत्तियों की पहचान करने और अधिकतम मूल्य प्राप्त हेतु पेशेवर और कुशल तरीके से उनका मुद्रीकरण करने में सलाह और समर्थन देगा।
- NLMC भूमि मुद्रीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार के रूप में कार्य करेगा, परसंपत्तिका मुद्रीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा।

## संपत्तिका मुद्रीकरण क्या है?

- **परिचय:**
  - यह अपर्युक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्तिका आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिये राजस्व के नए स्रोत बनाने की प्रक्रिया है।
- **आवश्यकता:**
  - भारत को और अधिक बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के पास इसके निर्माण के लिये संसाधन नहीं हैं। इस संबंध में दो संभावित प्रतिक्रियाएँ हैं।
    - नया बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिये नज्दी क्षेत्र को एक संवदात्मक ढाँचे के तहत इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
    - चूँकि निर्माण चरण के तहत अधिक जोखिम होता है, इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र के तहत संपत्तिका निर्माण किया जा सकता है और फरि इसे नज्दी क्षेत्र को बेचा जा सकता है या फरि नज्दी क्षेत्र को इसका प्रबंधन सौंपा जा सकता है।
  - भारत सहित किसी भी देश के लिये नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण में दो बाधाएँ हैं -
    - अनुमानित और सस्ती पूंजी तक पहुँच और
    - नष्पादन क्षमता, जहाँ सरकारी एवं नज्दी एजेंसियाँ एक साथ कई प्रमुख परियोजनाएँ ले सकती हैं।
- **संबंधित चुनौतियाँ:**
  - विभिन्न संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव।
  - सरकारी कंपनियों में नज्दीकरण की धीमी रफ्तार।
  - इसके अलावा ट्रेनों में हाल ही में शुरू की गई PPP पहल में उत्साहजनक बोलियों से यह संकेत मिलता है कि नज्दी नविशकों की रुचि को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है।
  - **संपत्तिका-विशिष्ट चुनौतियाँ:**
    - गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का नमिन स्तर।
    - वदियुत क्षेत्र की परसंपत्तियों में वनियमिति टैरफि।
    - फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये नविशकों में कम दिलचस्पी।
    - उदाहरण के लिये कोंकण रेलवे में राज्य सरकारों सहित कई हतिधारक हैं, जिनकी कंपनी में हस्तिसेदारी है।

## आगे की राह

- **बहु-हतिधारक दृष्टिकोण:** बुनियादी ढाँचे की वसितार योजना की सफलता अन्य हतिधारकों संबंधी उनकी उचित भूमिका नभाने पर नरिभर करेगी।
  - इनमें राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व नज्दी क्षेत्र शामिल हैं।
  - इस संदर्भ में पंद्रहवें वतित आयोग ने केंद्र और राज्यों के वतितिय उत्तरदायित्व कानून की फरि से जाँच करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह की स्थापना की सफिराशि की है।
- पारदर्शिता बनाए रखना परसंपत्तिका मूल्य की पर्याप्त प्राप्ति की कुंजी है।
- हाल के अनुभव से पता चलता है कि सार्वजनिक-नज्दी भागीदारी (पीपीपी) में अब पारदर्शी नीलामी, जोखिमों और अदायगी की स्पष्ट समझ व सभी इच्छुक पार्टियों के लिये एक खुला क्षेत्र शामिल है।
  - इस प्रकार ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में पीपीपी की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

## स्रोत: पी.आई.बी.